



2026:AHC:127889

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 20098 सन् 2026

गोविन्द सिंह

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी पक्ष (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : सैयद मोहम्मद जाफर हुसैन

विपक्षी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र मुकदमा अपराध संख्या 323 वर्ष 2021, धारा 2/3, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर में पंजीकृत अभियोग में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि गैंग चार्ट में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विरुद्ध केवल दो आधारभूत मुकदमे दर्शाए गए हैं तथा उन सभी मामलों में आवेदक को पूर्व से ही जमानत प्राप्त है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान गैंगस्टर अधिनियम के मुकदमे तथा गैंग चार्ट में उल्लिखित उक्त दो आधारभूत मुकदमों के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि विचाराधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के विरुद्ध लोक व्यवस्था को भंग करने अथवा अनुचित रूप से समयगत, आर्थिक, भौतिक अथवा इसी प्रकार का अन्य लाभ प्राप्त करने संबंधी आरोप अत्यंत अस्पष्ट एवं सामान्य प्रकृति के हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक किसी अभियुक्त के ऐसे किसी कार्य अथवा चूक का स्पष्ट आरोप न हो, जो अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित "गिरोह" एवं "गैंगस्टर" की परिभाषा के अंतर्गत आता हो, तब तक उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल पूर्व से लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर दर्ज की गई है। इसमें न तो कोई नया आरोप लगाया गया है और न ही ऐसा कोई नवीन तथ्य सामने आया है, जिसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो और जिसके निवारण के उद्देश्य से इस अधिनियम का निर्माण किया गया था।

5. उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग किसी नागरिक से प्रतिशोध लेने, उसे उत्पीड़ित करने, भयभीत करने अथवा राजनीतिक या अन्य किसी कारण से व्यक्तिगत रंजिश निकालने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता।

6. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने अपनी कार्यकुशलता प्रदर्शित करने, प्रशंसा प्राप्त करने अथवा शासन अथवा सत्तारूढ़ दल के उच्चाधिकारियों से सराहना अर्जित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लिया है, जबकि ऐसा किया जाना पूर्णतः अनुचित एवं अवैधानिक है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह विश्वास करने के लिए युक्तिसंगत आधार उपलब्ध हैं कि आवेदक उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आरोपित अपराध का दोषी नहीं है तथा जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में वह किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात् आवेदक न तो कोई अपराध करेगा और न ही किसी प्रकार से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा अथवा अभियोजन पक्ष के गवाहों को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 14.09.2021 से इस मामले में निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। ऐसा कोई आधार अथवा आशंका नहीं है कि यदि उसे जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है, तो वह न्यायिक प्रक्रिया से फरार हो जाएगा अथवा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा। साथ ही, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री इतनी सशक्त नहीं है कि उसके आधार पर यह प्रथम दृष्टया अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में उल्लिखित अपराधों का दोषी है।

9. इन परिस्थितियों में आवेदक जमानत का अधिकारी है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का किसी प्रकार दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि गैंग चार्ट में उल्लिखित सभी आधारभूत मामलों में आवेदक को जमानत प्राप्त है। तथापि, उन्होंने यह तर्क दिया कि आवेदक एक गिरोह का सदस्य है तथा अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया, तो उसके पुनः इसी प्रकार की समाज-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने तथा अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी देकर एवं भयभीत करके जमानत का दुरुपयोग करने की प्रबल संभावना है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) निम्नवत् है—

"(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का अभियुक्त, यदि अभिरक्षा में है, तो उसे जमानत पर अथवा उसके स्वयं के बंधपत्र पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि —

(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो; तथा

(ख) यदि लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, तो न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि यह विश्वास करने के लिए युक्तिसंगत आधार हैं कि अभियुक्त उक्त अपराध का दोषी नहीं है तथा जमानत पर रिहा किए जाने की दशा में उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।"

12. उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, गैंग चार्ट में वर्णित अपराध की प्रकृति तथा अभियुक्त-आवेदक के आपराधिक पृष्ठभूमि का सम्यक् विचार किया है।

13. **भारत संघ बनाम के. ऐ. नजीब, (2021) 3 एससीसी 713** के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि संविधान के भाग-III द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के अंतर्गत केवल विधिसम्मत प्रक्रिया और निष्पक्षता ही नहीं, बल्कि न्याय तक प्रभावी पहुँच तथा शीघ्र विचारण का अधिकार भी सम्मिलित है। इसी प्रकार, विचाराधीन बंदियों की तरफ से उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि विचाराधीन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बंदियों को विचारण की लंबित अवस्था में अनिश्चितकाल तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। आदर्श स्थिति में किसी भी व्यक्ति को उसके कृत्यों के प्रतिकूल परिणाम तब तक नहीं भुगतने चाहिए, जब तक कि किसी निष्पक्ष न्यायिक प्राधिकारी द्वारा उसके दोष का विधिसम्मत रूप से निर्धारण न कर दिया जाए। तथापि, व्यावहारिक परिस्थितियों में प्रभावी विचारण सुनिश्चित करने तथा विचारण लंबित रहने के दौरान किसी संभावित अपराधी के स्वतंत्र रहने से समाज को उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के उद्देश्य से न्यायालयों को यह निर्णय करना पड़ता है कि किसी अभियुक्त को विचारण की अवधि में जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए अथवा नहीं। जब यह स्पष्ट हो जाए कि समयबद्ध विचारण संभव नहीं है तथा अभियुक्त पर्याप्त अवधि तक कारावास में रह चुका है, तब सामान्यतः न्यायालयों का यह दायित्व बन जाता है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

14. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यापक संवैधानिक संरक्षण तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, (2018) 3 एससीसी 22 एवं सत्येन्द्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई एवं एक अन्य, एसएलपी (क्रिमिनल) सं. 5191 of 2021** में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों पर विचार करने के उपरांत तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

15. आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त अपराध में निरुद्ध आवेदक- **गोविन्द सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए— आवेदक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा—

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक एक लिखित प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य के लिए गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, उस दिन वह किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर, चाहे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए (समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 269) के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर भी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 209) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक निम्नलिखित अवसरों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा (1) वाद के प्रारंभ के समय, (2) आरोप विरचित किए जाने के समय, तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (जिसके समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 है) के अंतर्गत उसका कथन दर्ज किए जाने के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में उक्त अवसरों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. यदि उपर्युक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो वह आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने का पर्याप्त आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

दिनांक : 17 जून, 2026

कीर्ति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।